राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या–24/2020, 39/2020
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2020/00046, 2020/00079
3. दायर दिनांक– 06.08.2020
4. निर्णय दिनांक– 06.06.2023

उनवानी

1. कालूराम पुत्र गुल्लाराम
2. गणेश पुत्र भंवर लाल
3. गोपाल पुत्र भंवर लाल
4. छीतर पुत्र भंवर लाल (फौत)
   4/1. बदाम पत्नि छीतर
   4/2. श्रवण पुत्र छीतर
   4/3. राजू पुत्र छीतर
   4/4. पुष्पा पुत्री छीतर
   4/5 संजुदेवी पुत्र छीतर
5. ज्याना पत्नि भंवर लाल
6. रामा पुत्र भंवर लाल
7. सुवाराम पुत्र भंवर लाल
   सर्वजाति कुमावत, सर्वनिवासी ग्राम लाल दरवाजा, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़,

.......वादीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र काना जाति कुमावत नि0 ग्राम लाल दरवाजा, रूपनगढ़
2. हरिराम पुत्र भैरू जाति कुमावत, नि0 हाल गंगानगर, जिला गंगानगर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1. श्री गौरीशंकर बियाणी, विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2. श्री रामधन पोषक, सत्यानारायण कुमावत अधि0 प्रतिवादीगण

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 1294 रकबा 0.0242 है0, ख0न0 1295 रकबा 0.0242 है0, ख0न0 1296 रकबा 2.2975 है0, ख0न0 1302 रकबा 0.1698 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार दर्ज है। फसल काश्त के समय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद [illegible] दिनांक 20.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को उनके हिस्सेनुसार काश्त करने में बा[illegible] कारण वाद वर्णित भूमि के विभाजन का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested

06.6.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतियादी संख्या 2 को सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रकरण में दिनांक 24.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 08.12.2022 को राजस्व वाद संख्या 24/2020 में समान पक्षकार होने से उभयपक्ष के अधिववक्तागण की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश करने एवं सहमति व्यक्त करने से उक्त वाद के साथ वाद संख्या 39/2020 के समायेशन किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी संख्या 4 की मृत्यु होने से वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 पेश किया, जिसे स्वीकार कर वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वहस पर मनन किया। उभयपक्ष बहस एवं दोनों पक्षों की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र अंतर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 के मध्य रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है–

क० सं०	नाम खातेदार	ख० न०	रकबा (है०)	किस्म	विभाजन प्रस्ताव में दर्शित रंग
1	कालूराम पुत्र गुल्ला राम जाति कुम्हार सा०देह खातेदार हि० सम्पूर्ण	1296/2 1296/9 1302/2 कुल किता 3	0.4149 0.0165 0.0283 कुल रकबा 0.4597	चाही 1 चाही 1 बंजर 1	नीला
2	गणेश, गोपाल, रामा उर्फ रामू, सुवाराम पुत्र भंवरलाल ज्याना उर्फ जाना देवी पत्नि भंवरलाल हि० 5/6(हिस्सा बराबर प्रत्येक) पुष्पा, राजू, श्रवण, संजुदेवी, पिता छीतर बदाम पत्नि छीतर हि० 1/6 (हिस्सा बराबर प्रत्येक)	1296/8 1296/5 1296/6 1292/1 1302/1 कुल किता 5	0.1618 0.0027 0.0809 0.1860 0.0283 कुल रकबा 0.4597	चाही 1 चाही 1 चाही 1–0.0200 चाही 2 –0.0609 चाही 1 बंजर 1	हरा
3	हरिराम पुत्र भैरू जाति कुम्हार सा०देह खातेदार हिस्सा सम्पूर्ण	1296/11 1296/7 1296/4 1292/2 1302/3 कुल किता 5	0.0809 0.9935 [illegible] [illegible] [illegible] कुल रकबा [illegible]	चाही 1 चाही 2– 0.1978 चाही 1– 0.7957 चाही 1 चाही 1 बंजर 1	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested

06.6.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

4	बालूराम पुत्र काना जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार हि0 सम्पूर्ण	1296 / 1 1296 / 10 1302 / 4 कुल किता –3	0.3804 0.0510 0.0283 कुल रकबा 0.4597	चाही 2 चाही 1 बंजर 1	नारंगी
5	सामलात् हिस्सा जमाबंदी अनुसार	1282 1290 1295 1294 1296 / 3 1283 कुल किता– 6	0.0323 0.0161 0.0242 0.0242 0.0809 0.0404 कुल रकबा 0.2181	गै0मु0चाह गै0मु0चाह गै0मु0चाह गै0मु0चाह बा.1 –0.0324 चाही 2–0.0485 बा.1	भूरा

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिकी का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट रूपनगढ में मजमे–आम सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
साहायक कलक्टर रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम–डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 24/2020 व 39/2020

1. कालूराम पुत्र गुल्लाराम
2. गणेश पुत्र भंवर लाल
3. गोपाल पुत्र भंवर लाल
4. छीतर पुत्र भंवर लाल (फौत)
   4/1. बदाम पत्नि छीतर
   4/2. श्रवण पुत्र छीतर
   4/3. राजू पुत्र छीतर
   4/4. पुष्पा पुत्री छीतर
   4/5 संजुदेवी पुत्र छीतर
5. ज्याना पत्नि भंवर लाल
6. रामा पुत्र भंवर लाल
7. सुवाराम पुत्र भंवर लाल

   सर्वजाति कुमावत, सर्वनिवासी ग्राम लाल दरवाजा, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़,

.......वादीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र काना जाति कुमावत नि0 ग्राम लाल दरवाजा, रूपनगढ़
2. हरिराम पुत्र भैरू जाति कुमावत, नि0 हाल गंगानगर, जिला गंगानगर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित भूमि की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व निर्णय अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 06.06.2023 को जारी की गई।

06.6.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:51 IST
Reason: SelfAttested